

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.3(कृषि-1)/2017
प.1(1)(जी-18II)आ.कृ./ग्रुप-8

दिनांक : 14-8-17

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक प.7(5)भर्ती/गोपनीय/2013-14/170 दिनांक 16.06.2017 के द्वारा कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के प्रावधानानुसार राज्यपाल महोदय, कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के पद पर वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे-बैंड 15600-39100 (पी.वी.-3) ग्रेड पे रू 5400/- में कार्यग्रहण तिथि से अस्थाई रूप से 2 वर्ष के लिये नियत वेतन रूपये 22180/- प्रतिमाह पर परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं। परिविक्षाकाल में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 की अनुसूची -IV के अन्तर्गत इन्हें फिक्स वेतन रूपये 22180/- (अक्षरे रूपये बाइस हजार एक सौ अस्सी) प्रतिमाह देय होगा। उनकी नियुक्ति पुलिस विभाग से प्राप्त पूर्वाचरण रिपोर्ट एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की जा रही है।

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	स्थाई पता	वर्ग	वर्ग जिसके विरुद्ध चयन	मेरिट क्रमांक	जन्म दिनांक	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	रमेश कुमार साँप	स्व० कालू राम साँप	वीपीओ- भगावास (मैला की ढाणी) तह- रेनवाल, जयपुर	BC	Gen	1	16-07-1984	कृषि अनु. अधिकारी (कीट), कार्या० उप निदेशक कृषि (शष्य), एटीसी रामपुरा, जोधपुर
2	नेमा राम	भंवर लाल रनवां	गांव जोशीपुरा, पो.- मरोठ, तह- नावा, नागौर	BC	Gen	2	10-09-1986	कृषि अनु. अधिकारी (कीट), कार्या० उप निदेशक कृषि (शष्य), एटीसी, हनुमानगढ़
3	किशन लाल नागा	भोलू राम नागा	गाँव जमवारामगढ़, पोस्ट- जोरपुरा, तह०-फलेरा जयपुर	BC	Gen	3	02-07-1989	कृषि अनु. अधिकारी (कीट), कार्या० संयुक्त निदेशक (गु०नि०), बायोपेस्ट, दुर्गापुरा
4	श्रवण लाल	बंशी लाल	हरिपुरा, पो०- कालख, तह-फुलेरा जयपुर	BC	Gen	4	01-01-1987	कृषि अनु. अधिकारी (कीट), कार्या० उप निदेशक कृषि (शष्य), एटीसी लूनकरणसर
5	राकेश कुमार	सोहन लाल	ओम शिव स्कूल के सामने, ग्राम-पोस्ट - छोंकरवाडा कलां, तह. -भुसावर, जिला भरतपुर	BC	Gen	5	17-05-1989	कृषि अनु. अधिकारी (कीट), कार्या० उप निदेशक कृषि (शष्य), एटीसी मलिकपुर, भरतपुर
6	ओम प्रकाश यादव	कंवर लाल यादव	म०न० ए-79 न्यू जवाहर नगर कोटा	SC	SC	7	01-04-1981	कृषि अनु. अधिकारी (कीट), कार्या. संयुक्त निदेशक उद्यान, सेंटर आफ ऐक्सीलेस, झालावाड

उक्त नियुक्तियाँ निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन होगी:-

- उक्त चयनित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया/चयन एवं नियुक्ति कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के संबंध में माननीय विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न रिट याचिकाओं के अध्याधीन रहेगी।
- नवनियुक्ति अधिकारियों के लिये अंशदायी पेंशन योजना वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29.01.2004 एवं 13.03.2006 के अनुसार लागू होगी।
- पूर्व में राज्य सरकार के विभागों में नियोजित कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 की अनुसूची IV के अनुसार फिक्स वेतन एवं वर्तमान वेतन श्रृंखला अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिये विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

4. चिकित्सा परिचर्या व्यय भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत देय होंगे।
5. कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संतान संबंधी प्रमाण-पत्र/घोषणा प्रस्तुत करने होंगे।
6. परिविक्षा अवधि में वित्त विभाग की अधिसूचना/आदेश दिनांक 13.06.2006 में अंकित शर्तों/नियमों के अनुसार राज्य सेवा करनी होगी।
7. नियुक्त अभ्यर्थियों को नवनियुक्त स्थान पर उपस्थिति देने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. उक्त कार्मिकों की परिविक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
9. वे चयनित अभ्यर्थी जो वर्तमान में राज्य सेवा में कार्यरत हैं, वे विधिवत रूप से अपने विभागाध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
10. नवपदस्थापित अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से अपनी उपस्थिति 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अपने पदस्थापन कार्यालय पर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ० एस०पी० सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक प.7(5)भर्ती/गोपनीय/2013-14/170 दिनांक 16.06.17 के संदर्भ में।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मार्फत आयुक्त, कृषि विभाग (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ० एस०पी० सिंह)
शासन उप सचिव
14/8